भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 4104**
दिनांक 19.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

**"हमारा शौचालय : हमारा सम्मान" अभियान**

**†4104. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने स्वच्छता को मानवाधिकारों और विशेषकर महिलाओं तथा लड़कियों की गरिमा और निजता की सार्वभौमिक आवश्यकता को जोड़ते हुए और इसके साथ-साथ ही राष्ट्र की खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए 'हमारा शौचालय: हमारा सम्मान' अभियान शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की सभी पात्र लाभार्थियों को शौचालय निर्माण हेतु समय पर स्वीकृति आदेश प्रदान किया जाना सुनिश्चित करने के लिए शिविरों के माध्यम से ग्राम-स्तरीय पंजीकरण अभियान आयोजित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों को मौजूदा अंतरालों की पहचान करने और घरों में व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण में तेजी लाने के लिए जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करने का निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) "हमारा शौचालय: हमारा सम्मान" (एचएसएचएस) अभियान 19 नवंबर 2024 को विश्व शौचालय दिवस पर शुरू किया गया और मानवाधिकार दिवस अर्थात 10 दिसंबर, 2024 को संपन्न हुआ, जिसमें स्वच्छता और मौलिक मानवाधिकारों के बीच संबंध का उल्लेख करते हुए, इस बात पर जोर दिया गया कि सुरक्षित शौचालयों तक पहुंच विशेषकर महिलाओं और लड़कियों की निजता, सुरक्षा और स्वास्थ्य हेतु महत्वपूर्ण है। तीन सप्ताह चले इस अभियान में पूरे भारत के समुदायों को एकजुट किया गया, स्वच्छता को सभी के लिए गौरव और जिम्मेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 55,000 से अधिक कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया और इनमें 41 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, एचएसएचएस अभियान में निम्नलिखित उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की गईं:

- 1.6 लाख से अधिक सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) की कार्यशीलता का मूल्यांकन किया गया,जो मौजूदा सीएससी के 70% से अधिक का कवरेज हैं।
- 3.6 लाख से अधिक नए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) को मंजूरी दी गई।
- रात्रि चौपालों और स्वच्छता अभियानों सहित हजारों जमीनी स्तर के कार्यक्रमों ने जन भागीदारी को प्रेरित किया।

(ख) अभियान के दौरान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के लिए आईएचएचएल लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करने का प्रस्ताव किया। अभियान के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पात्र लाभार्थियों को 3.6 लाख नए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) स्वीकृत किए गए।

(ग) स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (एसबीएमजी) चरण-II के अंतर्गत नए उभरते परिवारों के लिए वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों (आईएचएचएल) के निर्माण के लिए प्रावधान किए गए हैं, जो गांवों की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति को बनाए रखने के लिए एक प्रमुख घटक है। चूंकि स्वच्छता राज्य का विषय है, इसलिए यह विभाग राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अपने नियमित अधिदेश के भाग के रूप में, डीडीडब्ल्यूएस ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे आईएचएचएल संबंधी कमियों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करें और पात्र लाभार्थियों को शौचालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

*****